# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 91/2023** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/197**
**दायर दिनांक :– 17.05.2023** **निर्णय दिनांक :– 13.02.2025**

1. किसना पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

**–प्रार्थी**

**बनाम्**

1. ईमामदीन पुत्र दीनु खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
2. खैरदीन पुत्र दीनूखां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
3. नुरदीन पुत्र दीनुखो जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
4. समसदीन पुत्र दीनुखां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
5. सरादीन पुत्र दीनुखां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
6. गंगादेवी पत्नी प्रेमाराम जाति सुथार निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. अजमत पत्नी हकीमखां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
8. अजीज पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
9. नबीबक्श पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
10. मोयबदीन पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
11. यार मोहम्मद पुत्र हकीम खां जाति मुसलमान निवासी भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी
12. अर्जुनराम पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
13. किस्तुरा पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
14. गुमाना पुत्र रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
15. मीरा पत्नी रामचन्द्र जाति मेघवाल निवासी नाचना तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर
16. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

**–अप्रार्थी**

**राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

**उपस्थित :–1.** श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर अप्रार्थी सं. 8 ता 11

**–:निर्णय:–**

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि सरहद मौजा भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नूरे की भुर्ज तहसील बाप में प्रार्थी की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 50 रकबा 17.9680 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती सरकारी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 की भूमि खसरा नम्बर 221/51 रकबा 14.8848 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51/8 रकबा 8.0937 हैक्टेयर

13/2/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 51/6 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51/404 रकबा 5.0181 हैक्टेयर भूमि ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में आई हुई है। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 50 की भूमि एवं उसमें बनी रहवासीय ढाणी में आने जाने हेतु सरकारी भूमि एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 51/404, 51/8, 51/6, 221/51 की भूमि में से रास्ता हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उपयोग में ली जा रही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था। अप्रार्थी उक्त रास्ते को बंद करने को आमादा है। अप्रार्थी की भूमि से लगती डामर सड़क तक पहुंच हेतु प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 8 ता 11 की और से वकील विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 व 12 ता 15 की और से कोई उपस्ति नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में बहस सुनी गई।

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थी वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 50 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 221/51, 51/6, 51/8, 51/404 के किनारे से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 50 के निकटतम खसरा नम्बर 51/404 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 221/51, 51/6, 51/8, 51/404 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.6812 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।
3. नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

## क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज के खसरा नंबर 51/404 रकबा 0.2596 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51/8 रकबा 0.0825 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 51/6 रकबा 0.1387 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 221/51 रकबा 0.2004 हैक्टेयर मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जाकर मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)